दिनांकः 14.07.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर अलग-अलग चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित 07 अदद इनवर्टर, 09 अदद बड़ी बैटरी, 05 अदद छोटी बैटरी, 01 अदद प्रेस, 01 अदद सिलेन्डर, 01 अदद चाकू व 12,000/- रुपये नकद बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 03.07.2026 को वादी श्री गुलशन पुत्र चन्द्ररुप निवासी ग्राम सबदलपुर थाना कुतुबशेर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि के समय वादी की दुकान से 02 इनवर्टर, 02 बैटरी, 17000/- रुपये व लोवर टी-सर्ट आदि चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 299/2026 धारा 305(1), 331(4),317(2) ,317(5), बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए* ***01 शातिर नकबजन अभियुक्त इसरार पुत्र निसार निवासी इस्लाम नगर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर*** *को सिचाई विभाग के खण्डहर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर* ***थाना कुतुबशेर, थाना नकुड व थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुकदमों से सम्बन्धित चोरी गया सामान – कुल 07 अदद इनवर्टर, 09 अदद बड़ी बैटरी, 05 अदद छोटी बैटरी, 01 अदद प्रेस, 01 अदद गैस सिलेन्डर, 01 अदद चाकू नाजायज, 12000/- रुपये नकद*** *बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 320/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया।* ***गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है*** *। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

विवरण पूछताछः- *अभियुक्त इसरार उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै अपने भाई व अपने साथी के साथ मिलकर रात के समय नकबजनी की वारदातो को अंजाम देते है और चोरी की वारदात में जो भी सामान चोरी में मिलता था उसको मौका देखकर हम लोग राह चलते लोगो को अपनी मजबूरी बताकर बेच देते थे तथा जो पैसा मिलता था उसको बराबर हिस्सों में बांट लेते थे। बरामद चोरी के सामान के बारे में बताया कि अभी कुछ दिनों पहले मैने अपने साथियों के साथ मिलकर कुतुबशेर क्षेत्र में एक दुकान में चोरी की थी तथा दिन तारीख याद नही पर मैने अपने साथियों के साथ मिलकर नकुड़ व कोतवाली देहात क्षेत्र में भी चोरी की वारदातो को अंजाम दिया था। आज मै सिचाई विभाग के खण्डहर में अपने साथियों का इंतजार कर रहा था क्योकि हम लोगो ने सामान को बेचने की योजना बनाई थी, पर आप लोगो मुझे पकड़ लिया। चाकू के बारे में बताया कि चोरी करते समय अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखते है जिससे कि मौके पर पकड़े जाने पर चाकू दिखाकर मौके भाग सके।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इसरार पुत्र निसार निवासी इस्लाम नगर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 07 अदद इनवर्टर
- 09 अदद बड़ी बैटरी
- 05 अदद छोटी बैटरी
- 01 अदद प्रैस
- 01 अदद सिलेन्डर
- 01 अदद चाकू नाजायज
- 12000/- रुपये नकद

अभियुक्त इसरार उपरोक्त का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 155/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0स0 611/20 धारा 414, 420, 465 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0स0 597/20 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. मु0अ0स0 103/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
5. मु0अ0स0 69/20 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
6. मु0अ0स0 131/26 धारा 305ए बीएनएस थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
7. मु0अ0स0 332/26 धारा 305ए,331(4) बीएनएस थाना नकुड सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 299/2026 धारा 305(1), 331(4),317(2) ,317(5), बीएनएस थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 960 सचिन तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 1157 मुकेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. का0 2245 अंशु थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
9. का0 1806 योगेश थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
10. का0 1215 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनाकः 17.07.2026

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा **02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. रहमान पुत्र सुल्तान निवासी विश्वास कालौनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता प्रधान कालौनी अधेरी बाग सराफत सैटरिग वाले के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 968/21 व मु0अ0सं0 38/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट वारंट व 82 सीआरपीसी चालानी थाना मण्डी स0पुर में कुतुबशेर क्षेत्र से व **2. आदिल पुत्र मेहरबान निवासी चांद कालोनी हलवाई जान मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0- 13936/2021 व मु0अ0सं0 25/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) नियत तिथि 14.07.2026 में मण्डी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *रहमान पुत्र सुल्तान निवासी विश्वास कालौनी पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता प्रधान कालौनी अधेरी बाग सराफत सैटरिग वाले के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर*
2. *आदिल पुत्र मेहरबान निवासी चांद कालोनी हलवाई जान मस्जिद थाना मण्डी सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
3. *का0 2278 विष्णु थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
4. *का01600 मनोज थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

दिनांक 14.07.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की शातिर नशा तस्करो के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 200 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा"के अनुपालन मेंपुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिह के कुशल नेतृत्व में थाना को0देहात पुलिस द्वारा दिनांक 14.07.2026 को चैकिंग व गस्त के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शाहरुख पुत्र शमीम निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** को निर्माणाधीन बाईपास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 200 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 343/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहरुख पुत्र शमीम निवासी नई बस्ती हलालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

200 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुदेश पाल थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 515 राहुल कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2201 विपन कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक 14.07.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व डरा धमकाकर जमीन का बैनामा कराने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *वादिया अनीता पुत्री श्यामलाल निवासी ग्राम फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर हाल पता रायपुररोड सुन्दरवाला निकट शीतला माता मन्दिर देहरादून की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. महबूब पुत्र रमजानी, 2. अंजुम पत्नी मोनिस, 3. मोमिना पत्नी महबूब, 4. नथलू पुत्र हरिया, 5. इश्कलाल उर्फ राधेश्याम, 6. धनराज, 7. सूफियान मिर्जा व 8. मोनिश मिर्जा द्वारा डरा धमकाकर जमीन अपने नाम करा लेने की सूचना के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 190/26 धारा 318(4)/338/336(3)/ 340(2)/191(2)/115(2)/75(2)/351(2)/308(2) बीएनएस व 3(1)द, ध व 3(2) va SC ST ACT के पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बेहट के द्वारा कि जा रही है*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में* ***वांछित अभियुक्त महबूब पुत्र रमजानी निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर हाल पता ग्राम बादशाहीबाग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*** *को नौशेरा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

महबूब पुत्र रमजानी निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर हाल पता ग्राम बादशाहीबाग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 286/22 धारा 120बी, 307,504,506 भादवि याना मिर्जापुर
2. मु0अ0सं0 287/22 धारा 414 भादवि व 3/25 आयुध अधि० थाना मिर्जापुर
3. मु0अ0सं0 19/23 धारा 120बी, 420,467,468,471,506 भादवि थाना मिर्जापुर
4. मु0अ0सं0 137/24 धारा 308(5) बीएनएस थाना मिर्जापुर
5. मु0अ0सं0 174/24 धारा 120बी, 406,420 भादवि थाना मिर्जापुर
6. मु0अ0सं0 189/26 धारा 115(2),333,351 (2) बीएनएस 3 (2) 5क, 3 (1)८.3 (1) ध एससीएसटी एक्ट थाना मिर्जापुर
7. मु0अ0सं0 118/06 धारा 420 भादवि थाना बेहट, 8. मु0अ0सं0 56/06 धारा 420 भावि थाना मिर्जापुर
8. मु0अ0सं0 190/26 धारा 115(2),191(2),308(2),318(4),336(3), 338,340(2),351(2), 75 (2) बीएनएस व 3 (2) 5 क, 3 (1) द. 3 (1) ध एससीएसटी एक्ट थाना मिर्जापुर
9. मु0अ0सं0 70/01 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि० थाना बेहट

10.मु0अ0सं0 82/2000 धारा 110 जी थाना मिर्जापुर
11.मु0अ0सं0 33/2000 धारा 323,324,504,506 भादवि थाना मिर्जापुर
12.मु0अ0सं0 87/95 धारा 03 यूपी गण्डा अधि० थाना मिर्जापुर
13.मु0अ0सं0 67/97 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर
14.मु0अ0सं0 146/05 धारा 110जी थाना मिर्जापुर
15.मु0अ0सं0 54/07 धारा 03 यूपी गुण्डा अधि० थाना मिर्जापुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
2. *का0 2017 चिराग कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
3. *का0 1494 नितिन राठौर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

दिनांक: 14.07.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशा तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त सोनू पुत्र जयपाल सिंह उम्र करीब 33 वर्ष नि0 ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को ग्राम मगनपुरा से आगे खारा पावर हाउस की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 193/26 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र जयपाल सिंह निवासी ग्राम नागलमाफी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण–

12 देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना मिर्जापुर सहारनपुर
2. हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक- 14.07.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 207 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है अभियान के अन्तर्गत नशा तस्करो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त रियासत उर्फ छोटा पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को नल्हेडा रोड पर कच्ची सडक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 207 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-233/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रियासत उर्फ छोटा पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम दुमझेडीथाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 207 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 263/17 धारा 3/8 सीएसएक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना
2. मु0अ0सं0 480/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना स0पुर
3. मु0अ0सं0 12/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना
4. मु0अ0सं0 301/20 धारा 188 भादवि थाना चिलकाना स0पुर
5. मु0अ0सं0 457/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 2299 कृष्णवीर सिह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 215 सुमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 14.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से दुकान से चोरी गया सामान बरामद

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13/07/2026 को वादी सोमदत्त पुत्र साधुराम नि0 ग्राम चाऊपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत दिनांक 12/13.07.2026 की रात्रि मे किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान व वादी के पडोस मे स्थित प्रकाश पुत्र चोहल सिंह की दुकान से चोरी कर लेने के संबध मे दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 339/26 धारा 331(4)/305(ए) बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे चोरी/नकबजनी/लूट की घटनाओ की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह श्री इंद्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13/07/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित चोर अभियुक्त लक्ष्य उर्फ लक्की पुत्र अवलीश नि0 ग्राम चाऊपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को कलालहटी अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से दुकान से चोरी गया सामान **(01 डिब्बी सिगरेट गोल्ड फ्लेक, 01 नमकीन भुजिया का पैकेट उमेश गोल्ड कम्पनी, 19 बण्डल बीडी के 502, 22 चोकलेट स्नैकर्स, 06 काली टेप, 09 पैकेट बिसकिट डायमण्ड कम्पनी के चोकलेट वाले, 01 तम्बाकू का बडा पैकेट अर्चित कम्पनी सील बन्द, 06 पैकेट सफल तम्बाकू के, 50 लाईटर का पैकेट, डव शैम्पू 10 पाऊच व 10 पाऊच तेल व 2210/- नकद)** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लक्ष्य उर्फ लक्की पुत्र अवलीश नि0 ग्राम चाऊपुरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 डिब्बी सिगरेट गोल्ड फ्लेक, 01 नमकीन भुजिया का पैकेट उमेश गोल्ड कम्पनी, 19 बण्डल बीडी के 502, 22 चोकलेट स्नैकर्स, 06 काली टेप, 09 पैकेट बिसकिट डायमण्ड कम्पनी के चोकलेट वाले, 01 तम्बाकू का बडा पैकेट अर्चित कम्पनी सील बन्द, 06 पैकेट सफल तम्बाकू के, 50 लाईटर का पैकेट, डव शैम्पू 10 पाऊच व तेल 10 पाऊच तथा नगद 2210/- नकद बरामद

आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 262/26 धारा 112(2)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 292/26 धारा 112(2)/303(2)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 294/26 धारा 112(2)317(2) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *हे0का0 261 मनोज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 964 कुलदीप थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.07.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 05 वांछित महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 50,000/- रूपये नकद बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 13.07.2026 को वादी श्री सरजीत पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम दैदनौर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 3-4 अज्ञात महिलाओं द्वारा वादी की जेब से 50,000/- रुपये की नकदी चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-168/26 धारा- 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस की तीन टीमों द्वारा यक्ष ऐप के माध्यम से मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना मे फरार चल रही* ***05 वांछित महिला अभियुक्तागण 1.सोमवती पत्नी आशीष निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 2.नैना पुत्री सुकेन्द्र निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 3.संध्या पत्नी धीरज निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़, 4. सुरेखा पत्नी सुरेन्द्र निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ व 5. किरण पत्नी राम निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़*** *को मुखबिर की सूचना पर जुबली पार्क के पास कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी गये 50,000/- रूपये नकद बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्ताओ के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ विवरण- *गिरफ्तार अभियुक्ताओं ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग अपने घर से मांगने खाने व मौका मिलने पर छोटी मोटी चोरियां करने का काम करते है। कल हम सहारनपुर शहर में घण्टाघर के पास घूम रहे थे तभी एक व्यक्ति जो कुछ उम्र दराज था तथा कुर्ता पजामा पहने हुए था जिसके कुर्ते की जेब में एक नोट की गड्डी दिखाई दे रही थी। हम सभी ने वो गड्डी मौके देख कर निकाल ली जिसमें 500-500 के 100 नोट कुल 50,000/- रूपये थे जिनको हमने आपस में बराबर–बराबर बांट लिया था जब हम लोग सुबह शौच करने के लिये एक शौचालय के बाहर खडे थे तभी आप लोगो ने हमे पकड़ लिया जो 50,000/- रूपये हमारे पास से मिले है यह वही रूपये है जो हमने उस बुजुर्ग की जेब से चोरी किये थे।*

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता –

1. *सोमवती पत्नी आशीष निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़*
2. *नैना पुत्री सुकेन्द्र निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।*
3. *संध्या पत्नी धीरज निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।*
4. *सुरेखा पत्नी सुरेन्द्र निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।*
5. *किरण पत्नी राम निवासी झुगी झोपड़ी स्टेशन के पास कस्बा व थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़*

बरामदगी का विवरणः–

- *50,000/- रूपये चोरी गये बरामद*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 306 सोनू थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
4. *रि0का0 1273 शिवम सागर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
5. *रि0म0का0 1364 राज कुमारी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
6. *रि0म0का0 1356 रेनू भारती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*

दिनांक: **14.07.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 09 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.04.2019 को को वादी की नाबालिग पुत्री उम्र 12 वर्ष के साथ अभियुक्त कादिर पुत्र आदिल निवासी लण्ढोरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा जबरदस्ती छेडछाड करना व गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0-130/19 धारा 452,354,504,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-944/21 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 14.07.2026 को अभियुक्त कादिर पुत्र आदिल निवासी लण्ढोरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत मु0अ0स0-130/19 धारा 452,354,504,506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 9 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती चंचल पुण्डीर
विवेचक-निरी0 श्री राजकुमार चंदेल
पैरोकार-है0का0 966 विक्रांत कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।